भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. †2472

सोमवार, 03 अगस्त, 2026/12 श्रावण, 1948 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण योजना

†2472. श्री बी. के. पार्थसारथीः

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण (सीबीएसपी) योजना के अंतर्गत आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा प्रशिक्षित लाभार्थियों की संख्या का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार एवं वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उन क्षेत्रों की सूची क्या है जहां विशेषकर आंध्र प्रदेश में, उक्त योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश में उक्त योजना के अंतर्गत प्रशिक्षित लाभार्थियों की जिला-वार एवं वर्ष-वार संख्या का ब्यौरा क्या है; और

(घ) आंध्र प्रदेश में उक्त योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए चयनित निजी एवं सरकारी अभिकरणों की जिला-वार सूची क्या है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) से (घ): पर्यटन मंत्रालय की सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण योजना (सीबीएसपी) पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्रों में संचालित की जाती है। यह आंध्र प्रदेश सहित शहरी, ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में देश भर में अल्पकालिक प्रशिक्षण, कौशल विकास और प्रमाणन प्रदान करता है। सीबीएसपी योजना हुनर से रोजगार तक, उद्यमिता कार्यक्रम और पर्यटन जागरूकता कार्यक्रम जैसे कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित करती है।

ये कार्यक्रम सरकारी संस्थानों और निजी संस्थानों जैसे होटल प्रबंधन संस्थान, फूड क्राफ्ट संस्थान, भारतीय पाक कला संस्थान आदि के माध्यम से कार्यान्वित किए जाते हैं।

आंध्र प्रदेश राज्य में यह प्रशिक्षण राज्य होटल प्रबंधन संस्थान तिरुपति, पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र कौशल परिषद आदि द्वारा संचालित किया जाता है।

देश में प्रशिक्षित और प्रमाणित उम्मीदवारों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा, जिसमें पिछले तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश का ब्यौरा भी शामिल है, दर्शाने वाला विवरण **अनुबंध** में हैं।

अनुबंध

श्री बी. के. पार्थसारथी द्वारा सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण योजना के संबंध में दिनांक 03.08.2026 को पूछे जाने वाले लोक सभा के लिखित प्रश्न संख्या †2472 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में **विवरण**

वित्तीय वर्ष 2023-24 से वित्तीय वर्ष 2025-26 तक सीबीएसपी योजना के तहत प्रशिक्षित/प्रमाण पत्र प्राप्त व्यक्तियों की राज्यवार संख्या

क्र.सं.	**राज्य का नाम**	**2023-24**	**2024-25**	**2025-26**	**कुल**
1	आंध्र प्रदेश	0	411	0	**411**
2	अंडमान और निकोबार	0	552	0	**552**
3	अरुणाचल प्रदेश	120	0	0	**120**
4	असम	493	1199	0	**1692**
5	बिहार	123	1920	0	**2043**
6	चंडीगढ़	112	0	0	**112**
7	छत्तीसगढ	30	265	0	**295**
8	दिल्ली	373	2052	300	**2725**
9	गोवा	30	0	0	**30**
10	गुजरात	0	142	0	**142**
11	हरियाणा	636	2591	0	**3227**
12	हिमाचल प्रदेश	315	5409	0	**5724**
13	जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश	1096	11808	0	**12904**
14	झारखंड	240	1600	60	**1900**
15	कर्नाटक	343	2150	0	**2493**
16	केरल	153	240	0	**393**
17	मध्य प्रदेश	6838	10916	0	**17754**
18	महाराष्ट्र	420	6487	0	**6907**
19	मेघालय	171	267	0	**438**
20	मणिपुर	0	753	0	**753**
21	मिजोरम	0	107	0	**107**
22	ओडिशा	270	1130	0	**1400**
23	पुदुचेरी	60	0	0	**60**
24	पंजाब	1337	4303	0	**5640**
25	राजस्थान	1453	5658	0	**7111**
26	तमिलनाडु	3644	2324	60	**6028**
27	तेलंगाना	725	3525	0	**4250**
28	उत्तर प्रदेश	3368	16960	120	**20448**
29	उत्तराखंड	1361	4179	0	**5540**
30	पश्चिम बंगाल	226	6804	30	**7060**
31	नागालैंड	216	431	0	**647**
	कुल	**24153**	**94183**	**570**	**118906**

स्रोत: पर्यटन मंत्रालय
